

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

प्रकरण सं. 2/66/2024 बनाम वनश्याम देवी तारीख रजू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
04.10.24	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान कौ जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 04.11.24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)</p>	
04.11.24	<p>पत्रावली पेश। P.O. सहाय युनाय है। कार्य में अंतर्गत को पेश हो। पत्रावली दिनांक 02.12.24 को पेश हो।</p> <p>रीडर</p>	
02.12.24	<p>पत्रावली तलबतुत हुई। वकूतमय पत्रावली उपस्थित। अहकाम सं. 1/2011 का प्रवाह पेश हो। पत्रावली शेष अधीनियम की तलबी हेतु आदेश दिनांक 24.12.24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	
24.12.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्व कादेशीय दिनांक 02.12.2024 के अनुसार कायदा दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय
इनिशियल जज

20.6.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वादते अपाप
साथीना पत्र व्यापहित में अद्वितीयता दिनांक
श.नं. 25 को पेश हो।

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

21.7.25

पत्रावली पेश। NO. साथ.....

रु. (नं. 20) अद्वितीयता
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।

18.8.25

रु. 25
सिद्ध

18.8.25

पत्रावली पेश हुई। कबील हाथी अनुपस्थित।
कबील व इन्डे हाथी को व्यापार्य क्षय असाव
तगवापी गयी। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
दोष/साथीना पत्र कबील हाथी को अनुपस्थित
में अद्वितीयता - अद्वितीयता में खासिय
क्रिया जाता है। पत्रावली केवल शूबाक हेतु
जम्मा से कम हो। बाद कबील हाथीना पत्रावली

रु. 25

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०